

सोने एवं चांदी
आभूषणों
के विक्रेता
माँ दुर्गा ज्वेलर्स
उचित व्याज में गिरवी रखी जाती है
चौप नं. 69, सी-मार्केट, सेक्टर-6, भिलाई
मो. 9424124911

श्रीकंचनपथ

लीपा पोती नहीं सिर्फ सच

BATTERY ZONE
Distributors for:
TATA GREEN BATTERIES
MICROTEK TECHNOLOGY WE LIVE
सभी कंपनी की बैटरी उपलब्ध है
Opp. Major, G.E. Road, Shastri Nagar, Bhilai (C.G.)

वर्ष- 15 अंक - 340

www.shreekanchanpath.com

संस्थापक एवं प्रेरणास्रोत- स्व. श्रीमती रजनी अग्रवाल

भिलाई, सोमवार 23 सितंबर 2024

पृष्ठ 8- मूल्य 1/-

खास-खाबर

केन्द्रीय कर्मचारियों को जल्द मिलेगी खुशखबरी, महंगाई भत्ता बढ़ाएगी सरकार



नईदिल्ली। केंद्र सरकार जल्द ही अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा कर सकती है। रिपोर्टों के मुताबिक, यह घोषणा सितंबर के अंतिम सप्ताह या अक्टूबर के पहले सप्ताह में हो सकती है। पिछली बार सरकार ने 1 जुलाई 2024 से डीए में 3-4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की उम्मीद जताई थी। मार्च 2024 में सरकार ने डीए को 4 प्रतिशत बढ़ाकर मूल वेतन का 50 प्रतिशत कर दिया था। इसी तरह महंगाई राहत भी 4 प्रतिशत बढ़ाई गई थी, जो पेंशनरों को मिलती है। संसद के मानसून सत्र के दौरान वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने स्पष्ट किया कि सरकार कोविड-19 महामारी के दौरान रोके गए 18 महीने के डीए और डीआर बकाया को जारी करने की संभावना कम मानती है। उन्होंने कहा कि फिन्हाल सरकार का ऐसा कोई इरादा नहीं है। विशेषज्ञों के अनुसार, अगर महंगाई भत्ता 50ब से अधिक हो जाता है, तो इसे मूल वेतन में विलय नहीं किया जाएगा। डीए के 50ब पार होने पर अन्य भत्तों, जैसे 1।कम में वृद्धि के प्रावधान किए जाते हैं, लेकिन डीए को मूल वेतन में शामिल नहीं किया जाएगा। यह व्यवस्था 8वें वेतन आयोग के गठन तक बरकरार रहेगी।

8वें वेतन आयोग के गठन का प्रस्ताव नहीं: केन्द्रीय कर्मचारी संघों ने 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग की है, लेकिन फिन्हाल सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। वित्त राज्य मंत्री ने 30 जुलाई को राज्यसभा में स्पष्ट किया कि जून 2024 तक सरकार के पास 8वें वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव नहीं है। महंगाई भत्ते की वृद्धि, अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के 12 महीने के औसत पर आधारित होती है। यह वृद्धि साल में दो बार, 1 जनवरी और 1 जुलाई को लागू की जाती है। हालांकि, इसका आधिकारिक ऐलान मार्च और सितंबर या अक्टूबर में होता है।

साढ़े 6 हजार से ज्यादा गाँवों की बदलेगी तस्वीर

केन्द्र के नए प्रोजेक्ट से होगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट

श्रीकंचनपथ न्यूज डेस्क

रायपुर। हाल ही में मोदी कैबिनेट की हुई बैठक में छत्तीसगढ़ के साढ़े 6 हजार से ज्यादा गाँवों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नए प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार भी इस प्रोजेक्ट को लेकर सक्रिय हो गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केन्द्र सरकार की इस परियोजना के बेहतर क्रियान्वयन के निर्देश अफसरों को दिए हैं। माना जा रहा है कि गाँवों के विकास के लिए यह परियोजना मील का पत्थर साबित होगी। इसके तहत गाँवों में इंटरनेट, अस्पताल, सड़क के साथ ही स्वास्थ्य, शिक्षा आदि सुविधाओं का विस्तार होगा। इसके अलावा जिन गाँवों में पर्यटन की संभावना है, वहाँ के दिन भी बढ़ेंगे।



गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाओं पर जोर

इस अभियान के अंतर्गत एसटी परिवारों की गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाओं तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करना, शिशु मृत्यु दर (आईएमआर), मातृत्व मृत्यु दर (एमएमआर) में राष्ट्रीय मानकों को हासिल करना और उन स्थानों, जहाँ स्वास्थ्य उपकेंद्र मैदानी क्षेत्रों में 10 किमी से अधिक और पहाड़ी क्षेत्रों में 5 किमी से अधिक हैं, वहाँ मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से टीकाकरण का कवरेज। वहीं, जिन गाँवों में पर्यटन की संभावना है। वहाँ जनजातीय परिवारों तथा गाँव को एक गाँव में 5-10 गृह प्रवासों के निर्माण के लिए फंड दिया जाएगा। प्रत्येक परिवार दो नए कमरों के निर्माण के लिए 5 लाख रुपए और मौजूदा कमरों के पुनर्निर्माण के लिए 3 लाख रुपए तक और ग्राम समुदाय आवश्यकता के लिए 5 लाख रुपए का पात्र होगा।

आर्थिक सशक्तिकरण पर जोर

आजीविका (स्वरोजगार) में सुधार करना- प्रशिक्षण (कौशल भारत मिशन/जेएसएस) तक पहुंच प्रदान करना और यह सुनिश्चित करना कि एसटी समुदाय के छात्र-छात्राएं हर साल 10वीं-12वीं कक्षा के बाद दीर्घकालिक कौशल पाठ्यक्रमों तक पहुंच प्राप्त करें। इसके अलावा, जनजातीय बहुउद्देशीय विपणन केंद्र (टीएमएमसी) के माध्यम से विपणन सहायता, पर्यटक गृह प्रवास, कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन के माध्यम से एफआरए पट्टा धारकों को सहायता प्रदान करना। योजना के तहत शिक्षा- स्कूल और उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) को राष्ट्रीय स्तर तक बढ़ाना और जिला/ब्लॉक स्तर पर स्कूलों में जनजातीय छात्रवासों की स्थापना करके एसटी छात्रों (समग्र शिक्षा अभियान) के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सस्ता बनाना शामिल है।

बुनियादी ढांचे का विकास

योजना के तहत पात्र परिवारों के लिए पक्का घर और अन्य सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। पात्र अनुसूचित जनजाति (एसटी) परिवारों को पीएमएवाई (ग्रामीण) के तहत नल के पानी (जलजीवन मिशन) और बिजली आपूर्ति (आरडीएसएस) की उपलब्धता के साथ पक्के आवास मिलेंगे। पात्र एसटी परिवारों की आयुष्मान भारत कार्ड (पीएमजेएवाई) तक भी पहुंच होगी। एसटी बहुल गाँवों (पीएमजीएसवाई) के लिए सभी मौसम में बेहतर सड़क संपर्क, मोबाइल कनेक्टिविटी (भारत नेट) और इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करना, स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा में सुधार के संसाधन उपलब्ध करवाए जाएंगे।

जरूरत के मुताबिक होंगे काम...

इस योजना के तहत आदिवासी गाँवों और आकांक्षी जिलों में काम किए जाएंगे। स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, कनेक्टिविटी और लाइवलीहुड के सेक्टरों के काम होंगे। छत्तीसगढ़ के आदिम जाति विकास मंत्री नेताम ने बताया कि राज्य में कुल 30.62 प्रतिशत जनजातीय जनसंख्या निवास करती है। योजना में हर गाँव के लिए 20.38 लाख के हिसाब से राशि की स्वीकृति मिली है। इसमें गाँव की जरूरत के हिसाब से अलग-अलग काम होंगे। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए पुरजोर प्रयास कर रही है। इनमें पहले से ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से लेकर ग्रामीणों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की कोशिशें शामिल हैं। केन्द्र सरकार के नए प्रोजेक्ट से छत्तीसगढ़ सरकार के कार्यों को और अधिक संबल मिलेगा। इससे गाँव और ग्रामीणों के विकास में तेजी आएगी।

32 जिलों के 138 विकासखंड

मंत्री नेताम के मुताबिक, छत्तीसगढ़ के 32 जिलों के 138 विकासखंड के 6691 अनुसूचित जनजाति बहुल गाँवों में इस स्क्रीम के तहत काम शुरू होंगे। उन्होंने बताया कि केन्द्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय की मदद से गाँव में ट्राइबल मन्टीपरपज मार्केटिंग सेन्टर्स, आश्रम शाला, छात्रावासों, शासकीय जनजातीय आवासीय विद्यालयों में अशो-संरचनात्मक सुधार, सिकलसेल डिजिज के लिए सपोर्ट-काउन्सिलिंग, काम्प्यूटेन्स सेंटर की स्थापना, डिजिटाइलेशन के काम होंगे।

शिफ्ट हुई गदा चौक की शराब दुकान, विधायक रिकेश ने अफसरों को दिए थे कड़े निर्देश

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। सुपेला के व्यस्ततम मार्ग पर गदा चौक स्थित शराब की दुकान के दिन अब लंद गए हैं। यह शराब की दुकान अब दूसरी जगह शिफ्ट हो गई है। वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन के प्रयास से अब इस दुकान को भिलाई नगर निगम के पीछे शिफ्ट कर दिया गया है। शराब की दुकान के साथ ही चखना सेंटर को भी शिफ्ट कर दिया गया है। विधायक रिकेश सेन ने शनिवार रात को अधिकारी को तलब कर 48 घंटे का अल्टिमेटम दिया था।



ली। उन्होंने इसके लिए जिले के प्रभारी और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा तथा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से भी इस दुकान और चखना सेंटर को हटाने पत्र लिखा था।

इसके बाद दुकान स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में फैसला देते हुए कहा था कि पटरी व होटल के पीछे स्थल चयन कर पूरा इंतजाम भी कर लिया गया। इस बीच सुपेला के कुछ होटल व्यवसायी निगम के पीछे इस शराब



शनिवार रात को दिया 48 घंटे का अल्टिमेटम

शनिवार की रात विधायक रिकेश सेन जब इस मार्ग से गुजर रहे थे तो गदा चौक पर अनावश्यक बैठे लोग उन्हें दिखाई पड़े परिणाम स्वरूप उन्होंने तत्काल गाड़ी रूकवा कर मोर्के का निरीक्षण किया और दुकान स्थानांतरण को लेकर हो रही अनावश्यक लेटलतीफी पर नाराजगी जताई। प्रदेश के एक संबंधित अधिकारी को फोन कर उन्होंने तत्काल 48 घंटे के भीतर शराब दुकान और चखना सेंटर हटाने का निर्देश दिया। इस घटना का एक विडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें विधायक सेन अधिकारी को 48 घंटे के भीतर दुकान हटाने का निर्देश दे रहे हैं। वायरल विडियो में उन्होंने सुपेला अंग्रेजी शराब की दुकान को गदा चौक से दो दिन के अंदर शिफ्ट करने कहा रहे हैं। विधायक के कड़े निर्देश बाद संबंधित अमला तत्काल सक्रिय हुआ और शनिवार छुट्टी के दिन ही कर्मचारी लगा कर यह दुकान भिलाई निगम के पीछे शिफ्ट कर दी गई। सोवार से अंग्रेजी शराब की दुकान और चखना सेंटर भिलाई निगम के पीछे खाली मैदान में संचालित होगा।

विधायक बनते ही शराब की दुकान को हटाने का लिया था निर्णय

विधायक बनते ही रिकेश सेन ने गदा चौक के समीप स्थित इस दुकान को हटाने का निर्णय लिया था क्योंकि मुख्य मार्ग पर अंग्रेजी दुकान और चखना सेंटर होने से शराबी आसामाजिक तत्वों का यहाँ जमावड़ा होता था। चूंकि यह चौराहा हनुमानजी के शत्रु गदा को समर्पित है, इस चौक के समीप ही आसामाजिक तत्व बैठने लगे थे। मुख्य मार्ग होने की वजह से स्कूली बच्चे और लोग परिवार सहित आना जाना करते थे और इस दौरान शराब दुकान और चखना सेंटर की भीड़ अनावश्यक तथा अशोभनीय लगती थी।

चाइल्ड पोर्न पर बेकार की बहस

श्रीकंचनपथ

भारतीय संस्कृति और सभ्यता बच्चों में ईश्वर का रूप देखती है। इनका यौन शोषण करना पाप है। हम इस बहस में नहीं पड़ना चाहते कि किस देश में बच्चों का यौन शोषण किया जाता है। जब हम बच्चा कहते हैं तो इसमें बालक और बालिकाएँ दोनों ही शामिल होती हैं। यह न केवल एक निन्दनीय कृत्य है बल्कि इस कृत्य को देखकर आनंद लेना भी एक तरह की मानसिक विकृति है। इसलिए बाल यौन शोषण और उसमें रुचि या आनंद लेना दोनों एक ही प्रकार के अपराध हैं। यदि किसी देश में बाल यौन शोषण अपराध है तो उसका समर्थन करने वाले और उसमें मजे लेने वाले भी अपराधी ही होंगे। देश में फिन्हाल यह मामला अभी अदालत में है जिसपर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। दरअसल, केरल हाईकोर्ट ने 13 दिसम्बर 2023 के अपने फैसले में कहा था कि अगर कोई व्यक्ति निजी तौर पर एकांत में पोर्न देख रहा होगा तो यह अपराध नहीं होगा। लेकिन यदि उसने किसी और को अश्लील तस्वीरें या वीडियो दिखाई तो यह अपराध होगा। यह मामला ऑनलाइन क्रिकेट बेटिंग जैसा है जिसमें आप स्वयं तो बेटिंग कर सकते हैं पर यदि आपने किसी और की बेट लगाई तो आप अपराधी बन जाते हैं। केरल हाईकोर्ट की टिप्पणी को आधार बनाते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने 11 जनवरी 2024



को पाँचसो एक्ट के एक आरोपी के खिलाफ केस को रद्द कर दिया था। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा था कि अपनी डिवाइस पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना या डाउनलोड करना अपराध के दायरे में नहीं आता है। इससे पहले साल 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में फैसला देते हुए कहा था कि पोर्न देखना गलत नहीं है, लेकिन किसी को दिखाना गलत है। इसे शेयर करना गलत है। इसे इकट्ठा करना भी अपराध की श्रेणी में आता है। इससे जुड़े कानूनों पर बहस करना अदालतों का काम है, हम इसपर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। हमारा लक्ष्य इसके समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण की विवेचना करना है। उपनिषदों में कहा गया है कि जैसा खाएंगे अन्न, वैसा रहेगा मन इ 'आहार शुद्धो सत्वशुद्धिः', यानी हमारा आहार शुद्ध होगा, तो हमारी चेतना भी शुद्ध होगी। चेतना के अनुरूप ही हमारे विचार होते हैं, बुद्धि होती है, कार्य होते हैं और अंत में हम स्वयं भी वैसे ही बन जाते हैं। फिर से सवाल वही उठता है कि जो बच्चों से जुड़े पोर्न देखेगा, क्या उसके आसपास बच्चे सुरक्षित रहेंगे। भले ही व्यक्ति यौन भावनाओं को भड़काने वाली सामग्री एकांत में देखता हो पर उसकी हरकतों तो इसी समाज को भुगतनी होगी। यौन कुटित लोगों से इन निरपराध लोगों की रक्षा का दायित्व भी तो शासन और न्यायपालिका का ही है। साथ ही समाज को भी अपनी भूमिका तय करनी होगी कि इस समस्या से वह कैसे निपटे। अविवाहितों, खराब शायदियों में फंसे लोगों और विधवा विधुर वर्ग के लोगों के पास कौन से विकल्प समाज ने छोड़े हैं?

Digital Display Board
के माध्यम से अपने व्यवसाय को दे **नई पहचान...**

Harsh Media Advertisers

19 एलईडी स्क्रीन वॉल

बिलासपुर रेलवे स्टेशन में स्थापित 48 एलईडी टीवी

Bhagat Singh Chowk, Near CM House, Raipur, Chhattisgarh
Contact: 9131425618, 9827806026

- रायपुर
- दुर्ग
- बिलासपुर
- कोरबा
- रायगढ़
- चांपा
- मुंगेली

